भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 349

सोमवार, 24 जून, 2019 / 3 आषाढ़, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजना

349. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की परिधि से बाहर के लोगों को पेंशन, चिकित्सा और बीमा कवर के साथ सामाजिक सुरक्षा कवर देने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में यह कब तक आरंभ होगा; और

(ग) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई बोझ डाले बिना समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रूपये की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। यह योजना 50:50 पर आधारित है, जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

*****